Ex.P.-490

कथन – श्री अमनदीप गुप्ता

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	अमनदीप गुप्ता पिता श्री एम.के. गुप्ता
उम्र	–	30 वर्ष
पता	–	ई–7/118, रचना होम्स, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)
मोबाईल नंबर	–	90390–99230
व्यवसाय	–	सर्किल नोडल अधिकारी/एएलटी नोडल अधिकारी, टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड, गुरू घासीदास प्लॉजा, आमापारा, रायपुर (छ0ग0)

––00––

मैं अमनदीप गुप्ता पूछने पर बता रहा हूं कि मैं सर्किल नोडल अधिकारी/एएलटी नोडल अधिकारी, टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड, भोपाल (म0प्र0) के पद पर दिसम्बर 2014 से पदस्थ हूं। मैं मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के नोडल अधिकारी का कार्य देखता हूं। ब्यूरो के ई–मेल दिनांक 01.04.2015 द्वारा अपराध कमांक–09/2015 के संबंध में मोबाईल नंबर 98271-97924 का सीडीआर (कॉल डाटा रिकार्ड) एवं सीएएफ (कस्टमर एप्लीकेशन फार्म) मांगा गया था। उक्त ई–मेल के संदर्भ में कंपनी के पत्र दिनांक 23.04.2015 के द्वारा उक्त मोबाईल नंबर की दिनांक 08.12.2014 से 18.03.2015 तक की सीडीआर, सीएएफ एवं धारा 65–बी एवीडेन्स एक्ट के अन्तर्गत सर्टिफिकेट (सीडीआर उपलब्ध कराने से संबंधित) प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पत्र में नोडल अधिकारी के रूप में मेरे हस्ताक्षर है। कंपनी रिकार्ड के अनुसार मोबाईल नंबर– 98271-97924 हमारी कंपनी में दिनांक 03.11.2014 को श्री आनंद दुबे पिता डा. मुरली मनोहर दुबे निवासी– विद्या हॉस्पिटल एवं किडनी सेन्टर के पीछे, शंकर नगर रायपुर के नाम पर पोर्ट–इन हुआ है। मोबाईल नंबर सिरिज के अनुसार यह मोबाईल नंबर मूल रूप से रियालंस कम्यूनिकेशन कंपनी द्वारा जारी किया गया है। दिनांक 08.12.2014 की पूर्व की जानकारी रिलायंस कंपनी से प्राप्त की जा सकती है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 23.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ